

16/10
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी परीकार सरकार उपस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
का स्थगन होने से कार्यवाही पेण्डिंग रखी जाती
है। पत्रावली वस्ती आगामी आदेश मांश.मं. अजमेर
व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।10 दी.प्र.सं.
दिनांक 17/11/2024 को पेश है।

57.0

11
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी परीकार सरकार उपस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का
स्थगन होने से कार्यवाही पेण्डिंग रखी जाती है।
पत्रावली वस्ती आगामी आदेश मांश.मं. अजमेर
व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।10 दी.प्र.सं. दिनांक
03/12/2024 को पेश है।

57.0

12
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील
अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली में शामिल पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व
मण्डल अजमेर द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति
के आदेश पारित किए, आगामी आदेशों तक
प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः
माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी
आदेश पारित होने तक पत्रावली को इसी स्तर

57.0

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राज्य परिषद् तहसीलदार रावतभाटा बनाम..... चतरा

केसम मुकदमा..... १७२२२५ नं० ११ सन् २०२३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>पर पेण्डिंग रखी जाभा उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली को मागनीय न्यायालय राजस्त मण्डल अजमेर के आगामी आदेश परित होने तक पत्रावली को पेण्डिंग रखी जाकर फाइल नुमार दी दर्ज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	